प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में धुधती – के जानी – भतेरा मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम = धुधती
तहसील– स्याल्दे, जिला– अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (— × — हे0 आरक्षित वन भूमि, × — हे0 सिविल सोयम भूमि 0.207 हे0 वन पंचायत भूमि 0.837 — हे0) अर्थात कुल 1.044 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धुधती द्वारा दिनांक 1-3-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धुधती के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
क्षेत्र ...
वि0 खं0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत धुधती
धुधती वि0 खं0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-3-[illegible] को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | [illegible] किशनसिंह | [illegible] |
| 2 | धनीराम मूसाराम | धनीराम |
| 3 | शम्भू प्रसाद [illegible] | शम्भू प्रसाद |
| 4 | जगतराम पनीराम | जगतराम |
| 5 | बचीराम मुंशीराम | Bachi Ram |
| 6 | गोविन्दसिंह गुमानसिंह | गोविन्दसिंह |
| 7 | लालसिंह [illegible] | [illegible] |
| 8 | कल्याणसिंह नैनसिंह | [illegible] |
| 9 | धनसिंह [illegible] | धनसिंह |
| 10 | नन्दनसिंह मोहनसिंह | [illegible] |
| 11 | खुशालसिंह [illegible] | [illegible] |
| 12 | मोहनराम हीराराम | मोहनराम |
| 13 | नन्दनसिंह पदमसिंह | नन्दनसिंह |
| 15 | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] |
| 17 | दानसिंह रावत – [illegible] | दानसिंह |
| 18 | [illegible] | [illegible] |
| | | |
| | | |
| | | |

[illegible]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]

ह०/–
ग्राम प्रधान

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा मैं कुरी - डैलाग्री - मसकोली मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरमोली - वन पंचायत गाव

तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु ( X है0 आरक्षित वन भूमि 0.207 है0 सिविल सोयम भूमि 0.837 है0 वन पंचायत भूमि — है0) अर्थात कुल 1.044 है0 वन भूमि का लोक0 निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरमोली वन पंचायत द्वारा दिनांक 1-3-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरमोली वन पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

| ग्राम सचिव | सरपंच | ग्राम प्रधान /सरपंच मुहर सहित |
|---|---|---|
| [signature] | [signature] | H.S. Rawat |
| ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुरमोली वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा) | वन पंचायत सुरमोली, वन पंचायत तह0 चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा | प्रधान ग्राम पंचायत-सुरमोली वि0ख0स्याल्दे-अल्मोड़ा |

प्रारूप –23.1

दिनांक 1-3-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुरमोली – चल पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | | |
| 1. | देव सिंह | देव सिंह |
| 2. | खुशाल सिंह | [illegible] |
| 3. | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 4. | गोपाल सिंह | गो.पाल |
| | | |
| | | |

ग्राम प्रधान / सरपंच

सरपंच
ग्राम पंचायत सुरमोली, [illegible]
[illegible]
जिला अल्मोड़ा

H.S. Rawat
प्रधान 7/3/16
ग्राम पंचायत-सुरमा...
वि०ख०स्याल्दे-अल्मोड़ा

धुरुती
(सुरमोली)
पंचायत

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के धुरुती केलानी-सुरमोली मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरमोली

तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (............ हे0 आरक्षित वन भूमि ...... हे0 सिविल सोयम भूमि 0.207 हे0 वन पंचायत भूमि 0.837 हे0) अर्थात कुल 1.044 है0 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरमोली द्वारा दिनांक 1-3-115 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम सचिव

सरपंच
वन पंचायत सुरमोली
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रधान 7/3/16
ग्राम पंचायत-सुर
वि0ख0स्याल्दे-अल्मोड़ा

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत..सुरमोली...
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

पंचा

प्रारूप –23.1

दिनांक 1-03-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुरमोली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | | |
| 1- | खुशाल सिंह रावत | [signature] |
| 2- | शैलेन्द्र सिंह | [signature] |
| 3- | गोपाल सिंह बिष्ट | गोपाल सिंह |
| | | |
| | | |
| | | |

ग्राम प्रधान / सरपंच

[signature]
सरपंच
वन पंचायत सुरमोली
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

H.S. Rawat
प्रधान 7/9/16
ग्राम पंचायत-सुरमोली
वि०ख०स्याल्दे-अल्मोड़ा

प्रारूप–23

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा में चुगी कैलानी-मसमोली मोटर मार्ग
..........................................................................................
..........................................................................................

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चक केलानी

तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (........ × हे0 आरक्षित वन भूमि × हे0 सिविल सोयम भूमि 0.207 हे0 वन पंचायत भूमि 0.837 हे0) अर्थात कुल 1.044 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चक केलानी द्वारा दिनांक 1-3-013 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार ~~अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं।~~ उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चक केलानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत – चकेलानी
वि0 ख0-स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा

सरपंच,
वन पंचायत चककेलानी,
पो० ऑ० – चुगीनौला,
तहसील–भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चककेलानी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रारूप –23.1

दिनांक 1-3-2013 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम- केलानी ग्राम पंचायत — चक केलानी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| | नवीन चन्द्र / मोहन चन्द्र | [illegible] |
| | दिनेश चन्द्र / बचीराम | [illegible] |
| | केशवदत्त / तुलाराम लो० | केशवदत्त |
| | दिनेश चन्द्र / टीकाराम | [illegible] |
| | कैलाश चन्द्र / नन्दकिशोर | [illegible] |
| | गोपाल दत्त / बचीराम | गोपालदत्त |
| | रामसिंह / हमात सिंह | [illegible] |

[illegible]

सरपंच,
ग्राम पंचायत चककेलानी,
पो० ऑ० – [illegible],
[illegible] (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच

[illegible]

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चककेलानी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चिचुली-बैसानी-मझखोली मोटर मार्ग का निर्माण,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सिल्टवाटेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत चिचुली बैसानी मझखोली मोटर मार्ग (–×– हे0 आरक्षित वन भूमि 0.209 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.835 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.044 हे0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक 1-3-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी सिल्टवाटेश अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य / सचिव
4– श्री ——————— बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————— सदस्य

(ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत चुचली, चुचली वि.ख. स्याल्दे (अल्मोड़ा))

(नन्दी देवी, सदस्य, क्षेत्र पंचायत चुचली, वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा))

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

उपरोक्त परियोजना हेतु 1.044 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत देघाटी नैकणी अंगसरौ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.044 हे0 वन भूमि ............प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा
उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

तहसीलदार स्याल्दे
जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा .................... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद–अल्मोड़ा

# प्रमाण पत्र 23.3

## जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :– जनपद अल्मोड़ा के छिपुली कैलानी सदमोली मोटर मार्ग ............................................ ।

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 .................. के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित छिपुली कैलानी सदमोली मोटर मार्ग .................................. के निर्माण हेतु 1.044 ......है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

03/3/15

जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Ameen Pramar Patra/Arvind

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......03.03.15............at time....3.10.P.M.........at Almora. in which application claiming rights of .................................. area measuring 1.044. hect. for the Construction of Ghuguti-Kailani-Masmoli Motor Road.................. of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

03.03.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा

It is further certified that

| S.N. | | Remarks |
|---|---|---|
| (a) | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.044 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

Encl:As above

03.03.15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

**FORM-1**

**Government of Uttarakhand**

**Office of the District Collector : Almora**

**No :.........................................**

**Dated:...............**

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..1.044.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development PHA Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction..of Ghugati Kailani Marmoli Motor Road

.......................................................................................................................

(Purpose for diversion of forest land) in..Almora..district falls within jurisdiction of.Kailani..village(s) in..Syaldey...Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.1.044...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

03.03.15

Tehsildar

S.D.M.

उप जिलाधिकारी स्याल्दे

जनपद -अल्मोड़ा

जिला अधिकारी

D.M.

अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)